



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक विल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001

फ़ोन: 23353503 फ़ैक्स: 23753923

याचिका सं. 151/टीडी/2023

दिनांक: 8.6.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-V अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन एम्बेसी क्लासिक प्राइवेट लिमिटेड, सं. 1011102, एम्बेसी चेम्बर्स, 5, विटठल माल्या रोड बँगलोर, कर्नाटक भारत - 560001, द्वारा आयोग के समक्ष किया गया है।

2. एम्बेसी क्लासिक प्राइवेट लिमिटेड को अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट www.embassybuilders.net में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अर्हक है और दिनांक 8.6.2023 के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-V में अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

4. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर 30.6.2023 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. आयोग ने 7.7.2023 को अंतिम निपटान के लिए आवेदन को निर्धारित किया है और कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-
(हरजीत सिंह मुथी)
सचिव